भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 304
उत्तर देने की तारीख: 16.03.2020

नये विद्यालय खोलना

***304. डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठीः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आगामी तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण/अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में नये विद्यालय खोलने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो खोले जाने वाले प्रस्तावित विद्यालयों की राज्य-वार एवं वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार की क्या कार्य-योजना है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

'नये विद्यालय खोलना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ॰ रमापति राम त्रिपाठी द्वारा दिनांक 16.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 304 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकार, जो आरटीई अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार है, का कर्तव्य है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) सरकार ने स्कूल खोलने के लिए अपने राज्य आरटीई नियमावली में अपनी राज्य विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख करते हुए अपने पड़ोस मानदंडों में क्षेत्र या सीमाएं अधिसूचित की हैं।

केन्द्र सरकार, समग्र शिक्षा की एकीकृत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से स्कूलों के खोलने/सुदृढ़ीकरण सहित आरटीई अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2017-18 तक तत्कालीन सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और वर्ष 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के तहत, 3.64 लाख नए प्रारंभिक स्कूलों को स्वीकृति दी गई है जिनमें से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने 3.60 लाख स्कूल खोलने की सूचना दी है। वर्ष 2017-18 तक तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और वर्ष 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के तहत, 12,994 नए माध्यमिक स्कूल स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने दिनांक 31.12.2019 तक 12423 नए स्कूल खोलने की सूचना दी है।

नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है, यदि वे संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से जिला प्रशासन से निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त होते हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती पद्धति" के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करनी होती है। देश में 1227 केन्द्रीय विद्यालय (और 3 विदेश में) कार्यरत हैं।

नवोदय विद्यालय योजना में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु देश में प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जे.एन.वी.) खोले जाने का प्रावधान है। नये जे.एन.वी. खोले जाना एक सतत प्रक्रिया है जो कि राज्य सरकार द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने और विद्यालय शुरू करने के लिए अस्थायी आवास (किराया मुक्त) उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। तथापि, 4 वास्तविक संस्वीकृति और जे.एन.वी. खोला जाना निधियों की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन पर निर्भर करता है। इस समय देश में 645 जे.एन.वी. कार्यरत हैं।

******